

## राजस्थान सरकार

### निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल - aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ 2 (ग ) (कैडर रिव्यू) अलेसे । / 439

दिनांक :- 16-6-2023

आदेश संख्या : 06/2023-24

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(11)एफडी/रेवेन्यू/96 पार्ट-II जयपुर दिनांक 28/04/2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13/08/2013 में दिये गये निर्देशों तथा शासन उप सचिव, वन विभाग के पत्र क्रमांक प .12(24)वन /08 दिनांक 22/06/2009 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की काडर स्ट्रेन्थ में वन विभाग की सूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

| क्र.स . | कार्यालय का नाम                     | संशोधन पूर्व पद |                  |            | संशोधन पश्चात् पद |                  |            |
|---------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------|-------------------|------------------|------------|
|         |                                     | स .ले.अ .-<br>I | स .ले.अ .-<br>II | क .लेखाकार | स .ले.अ .-<br>I   | स .ले.अ .-<br>II | क .लेखाकार |
| 1       | मुख्य वन संरक्षक वीकानेर<br>(10959) | 0               | 0                | 1          | 0                 | 1                | 2          |

उक्त पद सृजन/समाप्ति के उपरान्त राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की नवीनतम कैडर स्ट्रेन्थ निम्नानुसार है:-

| विवरण.                 | स .ले.अ .-I | स .ले.अ .-II | क .लेखाकार | योग   |
|------------------------|-------------|--------------|------------|-------|
| वर्तमान कैडर स्ट्रेन्थ | 2467        | 3775         | 5563       | 11805 |
| नवीन कैडर स्ट्रेन्थ    | 2467        | 3776         | 5564       | 11807 |

  
(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त  
शासन सचिव

क्रमांक :- एफ 2 (ग ) (कैडर रिव्यू) अलेसे । / 439

दिनांक :- 16-6-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
- संबंधित विभागाध्यक्ष .....
- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
- निजी सचिव, निदेशक ।
- पदस्थापन सहायक अलेसे II / II / III को विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु



(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)